ऑनलाइन करें

इस फॉर्म को जल्दी और आसानी से ऑनलाइन भरा जा सकता है
gov.uk/register-to-vote

मत देने के लिए पंजीकरण कराएं

मत देने के लिए पंजीकरण कराना

आप मत देने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं यदि:

- यूके के निवासी हैं (आमतौर पर यहां रहते हैं) और आपकी उम्र 16 वर्ष या अधिक है (लेकिन आप 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक मतदान नहीं कर सकेंगे)।

यह भी जरूरी है कि आप या तो:

- एक ब्रिटिश, आयरिश अथवा यूरोपीय संघ के नागरिक हों, अथवा
- एक राष्ट्रमंडल नागरिक हों जिसके पास यूके में प्रवेश करने या बने रहने की अनुमति हो अथवा जिसे इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो।

इसमें चंद मिनट ही लगेंगे और इसे जल्दी और आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।

इस फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी देना जरूरी है (जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) अन्यथा आपके आवेदन में विलंब हो सकता है।

1 आपका नाम और पता

प्रथम नाम

कुलनाम

आपका पता

पोस्टकोड

क्या आप दूसरे पते पर रहते हैं? ☐ नहीं ☐ हां

यदि हां, तो आपको यह पता हमें अभी देना जरूरी नहीं है लेकिन हम बाद में अधिक जानकारी मांग सकते हैं।

टेलीफोन नंबर (ऐच्छिक)

ईमेल (ऐच्छिक)

अपना ईमेल पता देने से आपके आवेदन के बारे में आपसे जल्दी और आसानी से संपर्क किया जा सकता है।

गलत जानकारी

यदि हमने कोई ऐसी जानकारी लिखी है जो गलत है, तो कृपया उसे काट दें और सही जानकारी लिखें।

2 आपकी राष्ट्रीयता

यदि आपके पास एक से अधिक देशों की राष्ट्रीयता है, तो कृपया उन सभी देशों को शामिल करें।
(क्या आपको अपनी राष्ट्रीयता पता नहीं है? कृपया खंड 7 देखें)

(अधिक जानकारी पृष्ठ 4)

3 क्या आपने पिछले 12 महीनों में घर बदला है?

☐ नहीं ☐ हां यदि हां, तो कृपया किसी पूर्व पता लिखें जहां आप पिछले एक वर्ष के दौरान रहे हैं, अन्यथा आपके आवेदन में विलंब हो सकता है।

पोस्टकोड

यदि यह पता विदेश का है, तो क्या आप यूके में एक ओवरसीज़ वोटर के तौर पर पंजीकृत थे? ☐ नहीं ☐ हां

(Barcode goes here)

4 क्या आप अपने वर्तमान पते पर रहने वाले 16 वर्ष या अधिक उम्र के अकेले व्यक्ति हैं? (ऐच्छिक)

☐ हां, मैं इस पते पर रहने वाला 16 वर्ष या अधिक उम्र का अकेला व्यक्ति हूं। (अधिक जानकारी पृष्ठ 4)

5 आपकी जन्म तिथि

दि दि | म म | व व व व

यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है, तो कृपया निशान लगाएं कि क्या आपकी उम्र है:

18 वर्ष से कम ☐ 18-75 वर्ष ☐ 76 वर्ष अथवा अधिक ☐

(क्या आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है? कृपया खंड 7 देखें)। (अधिक जानकारी पृष्ठ 4)

6 आपका नैशनल इनश्योरेंस नंबर

आपको यह अपनी वेतन-पर्ची पर, अथवा कर, पेंशन या लाभों से संबंधित शासकीय पत्रों पर मिलेगा।

(क्या आपको अपना नैशनल इनश्योरेंस नंबर पता नहीं है? कृपया खंड 7 देखें)

7 क्या आपको अपनी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि अथवा नैशनल इनश्योरेंस नंबर पता नहीं है? कृपया हमें बताएं कि ऐसा क्यों है

यदि आप हमें यह ब्यौरा नहीं दे सकते, तो हम आपके आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले अन्य दस्तावेजी प्रमाण देने के लिए कह सकते हैं।

....

....

8 क्या आपने अपना नाम बदला है?

कृपया हमें अपना सबसे हाल का पुराना नाम दें (ऐच्छिक)।

कृपया हमें वह तारीख बताएं जब आपने अपना नाम बदला (ऐच्छिक)।

दि दि | म म | व व व व

(अधिक जानकारी पृष्ठ 4)

9 स्वयं जाकर मतदान नहीं कर सकते

यदि आप मतदान दिवस पर मतदान केंद्र जाने में असमर्थ हैं, तो कृपया चुनें कि आप किस प्रकार से मतदान करना चाहेंगे और हम आपको एक आवेदन फॉर्म भेजेंगे, अथवा आप यहां से एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:
yourvotematters.co.uk

☐ डाक द्वारा ☐ प्रतिनिधि द्वारा (कोई व्यक्ति जो आपकी ओर से मतदान करेगा)

10 ओपन रजिस्टर

ओपन रजिस्टर चुनाव रजिस्टर का सार होता है, लेकिन इसका प्रयोग चुनावों के लिए नहीं किया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और बारबार इसका प्रयोग नाम और पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

यदि आप ओपन रजिस्टर में अपना नाम और पता शामिल नहीं करवाना चाहते हैं, तो कृपया निशान लगाएं ☐ (अधिक जानकारी पृष्ठ 4)

11 घोषणा

मैं वर्तमान में इस पते पर रहता/रहती हूं। मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य है।
मुझे मालूम है कि मैंने इस फॉर्म में दी हुई जानकारी का प्रयोग चुनाव रजिस्टर में किया जाएगा।
मुझे मालूम है कि यदि अपेक्षित होने पर मैं पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करता(ती) हूं तो मुझ पर £80 का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुझे मालूम है कि इस फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी देना एक अपराध है और यदि दोष सिद्ध होता है तो मुझे छह महीने की कैद हो सकती है और/अथवा असीमित जुर्माना देना पड़ सकता है।

हस्ताक्षर

आज का दिनांक

दि दि | म म | व व व व

यदि इस फॉर्म भरने में आपको मदद चाहिए हो, तो कृपया पृष्ठ 1 पर दिए गए विवरण का प्रयोग कर हमसे संपर्क करें।

(Barcode goes here)

आपकी राष्ट्रीयता

यद आपके पास एक से अधिक देशों की राष्ट्रीयता है, तो कृपया उन सभी देशों को शामिल करें। आप यूके में केवल तब मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं जब आप एक ब्रिटिश, आयरिश अथवा यूरोपीय संघ के नागरिक हों, अथवा ऐसे राष्ट्रमंडल नागरिक हों जिसके पास यूके में प्रवेश करने या बने रहने की अनुमति हो अथवा जिसे इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो। हमें आपकी नागरिकता के बारे में और भी प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है अथवा हम सरकारी रिकॉर्डों में आपकी राष्ट्रीयता या आप्रवासन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

क्या आप अपने पते पर रहने वाले 16 वर्ष या अधिक उम्र के अकेले व्यक्ति हैं?

आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है। हालाँकि, हर वर्ष, आपका चुनाव पंजीकरण कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर को पत्र भेजता है कि मतदान करने के लिए सही व्यक्तियों का पंजीकरण हो। यदि आप अपने चुनाव पंजीकरण कार्यालय को यह बता देते हैं कि आप अपने वर्तमान पते पर रहने वाले 16 वर्ष या अधिक उम्र के अकेले व्यक्ति हैं, तो उसे निकट भविष्य में आपके घर पर ऐसे पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

आपकी जन्म तिथि

यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है, तो कृपया वह तारीख बताएं जो आप शासकीय दस्तावेजों में लिखते हैं (उदाहरण के लिए, अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में) अथवा किसी एक बॉक्स में निशान लगाएं। आपकी जन्म तिथि से आपकी पहचान होती है, यह मतदान के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करती है और इसका प्रयोग करके लोगों को जूरी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।

क्या आपने अपना नाम बदला है?

उदाहरण के लिए, आपने विवाह किया हो और अपना नाम बदला हो। आपको हमें अपने नाम परिवर्तन का विवरण देना ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे हमें आपकी पहचान करने में मदद मिलेगी। यदि यह जानकारी नहीं दी जाती है, तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण देने की आवश्यकता होगी।

ओपन रजिस्टर

दो रजिस्टर होते हैं। क्यों? जनता से प्राप्त जानकारी का प्रयोग करते हुए, पंजीकरण अधिकारी दो रजिस्टर रखते हैं - निर्वाचक रजिस्टर और ओपन रजिस्टर (इसे संशोधित रजिस्टर भी कहते हैं)।

निर्वाचक रजिस्टर

निर्वाचक रजिस्टर में उन सभी लोगों के नाम और पते होते हैं जो सार्वजनिक चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकृत होते हैं।
इस रजिस्टर का प्रयोग निर्वाचन या चुनाव के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र लोग ही मतदान कर सकते हैं। इसका प्रयोग कानून में विनिर्दिष्ट किए गए अन्य सीमित प्रयोजनों से भी किया जाता है, जैसे कि:

- अपराध का पता लगाने के लिए (जैसे धोखाधड़ी)
- लोगों को जूरी सेवा हेतु बुलाने के लिए
- ऋण आवेदनों की जांच के लिए।

ओपन रजिस्टर

ओपन रजिस्टर चुनाव रजिस्टर का सार होता है, लेकिन इसका प्रयोग चुनावों के लिए नहीं किया जाता है। इसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन द्वारा खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, इसका प्रयोग कारोबारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा नाम और पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। आपका नाम और पता ओपन रजिस्टर में शामिल होगा जब तक आप उन्हें हटाने के लिए नहीं कहते।
ओपन रजिस्टर से आपका विवरण हटाने से आपका मतदान करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

यदि आपको आशंका है कि रजिस्टर में आपका नाम या पता होने से आपकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो आपके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, आप रजिस्टर में नाम और पता दिखाए बिना पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानने के लिए, कृपया अपने चुनाव पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें। आप उसका पता इस फ़ॉर्म में पृष्ठ 1 पर देख सकते हैं। आप रजिस्टरों के बारे में तथा उनके प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी **gov.uk/register-to-vote** पर देख सकते हैं।

निजता संबंधी कथन

आप हमें जो जानकारी देंगे उसका प्रयोग हम केवल चुनाव के प्रयोजनों से करेंगे। हम निजी जानकारी की देखभाल सुरक्षित तरीके से करेंगे और डेटा सुरक्षा संबंधी कानून का पालन करेंगे। हम आपकी निजी जानकारी को या आपके द्वारा अन्य लोगों के बारे में दी गई निजी जानकारी को तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति या संगठन को नहीं देंगे जब तक कानून के अनुसार ऐसा करना ज़रूरी नहीं होगा।
इस फ़ॉर्म में जानकारी एकत्र करने का कानूनसम्मत आधार यह है कि यह जनहित में किए जाने वाले कार्य के निष्पादन हेतु तथा शासकीय प्राधिकार के प्रयोग हेतु ज़रूरी है जैसा कि रिप्रेजन्टेशन ऑफ द पीपल ऐक्ट 1993 (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1983) एवं संबद्ध विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) में निहित किया गया है।
इस फ़ॉर्म में दी गई कुछ जानकारी को विशेष श्रेणी निजी डेटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे पर्याप्त जनहित के उद्देश्यों से संसाधित किया जाता है जैसा कि रिप्रेजन्टेशन ऑफ द पीपल ऐक्ट 1993 (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1983) एवं संबद्ध विनियमों में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार की जानकारी को संसाधित करने के लिए, डेटा नियंत्रक को एक प्रासंगिक नीति दस्तावेज रखना ज़रूरी है जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि इस जानकारी का संचालन किस प्रकार किया जाएगा।
चुनाव पंजीकरण अधिकारी ही डेटा नियंत्रक है: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>

आपको निजी जानकारी को संसाधित करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए <<web>> पर निजता सूचना को देखना चाहिए।

क्या इस फ़ॉर्म के संबंध में कोई समस्या है?

यदि आपको इस फ़ॉर्म को समझने या इसे भरने में कोई भी सहायता चाहिए हो -
अथवा यदि आपको यह फ़ॉर्म बड़े प्रिन्ट में या दूसरे फ़ॉर्मेट में चाहिए हो तो अपने चुनाव पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें। आप उसका पता इस फ़ॉर्म में पृष्ठ 1 पर देख सकते हैं।

(Barcode goes here)